संख्या- 21/2022/आई/ 220962 /2022/फा0नं0-10-22099/ 373/2021-22

प्रेषक,

नील रतन कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2- समस्त विभागाध्यक्ष/वित्त नियंत्रक/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक 03 अक्टूबर, 2022

विषयः राज्य सरकार के पेंशनरों की अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा पुत्रियों को पारिवारिक पेंशन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में शासन के संज्ञान में लाया गया है कि शासनादेश संख्याःसा-3-1508/दस-2008-308/97 दिनांक 08.12.2008 सपठित शासनादेश संख्याः सा-3-1665/दस-2012-308/97 दिनांक 03.12.2012 तथा शासनादेश संख्याःसा-3-482/दस-2014-308/97 दिनांक 20.05.2014 द्वारा निर्गत सुस्पष्ट शासनादेशों के बावजूद अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा पुत्रियों को पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने में कतिपय कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है।

2- अवगत कराया गया है कि पेंशनरों की अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा पुत्रियों को पारिवारिक पेंशन के रूप में मात्र रू. 9000/- की धनराशि का भुगतान किया जा रहा है तथा उत्तर प्रदेश वेतन समिति (2016) की संस्तुतियों के क्रम में निर्गत शासनादेशों के अनुसार उनकी पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण नहीं किया गया है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पेंशनरों की अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा पुत्रियों को वही पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है, जो दिवंगत सरकारी कर्मचारी/पेंशनर के आश्रितों को स्वीकृत की गई है अर्थात यथास्थिति दिवगंत/सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी द्वारा आहरित अन्तिम वेतन के 50 प्रतिशत (बढ़ी हुई दर पर) अथवा 30 प्रतिशत (सामान्य दर पर)।

कृपया तत्काल उपरोक्तानुसार सरकारी पेंशनरों की अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा पुत्रियों की पारिवारिक पेंशन संशोधित करते हुए एवं उत्तर प्रदेश वेतन समिति (2016) की संस्तुतियों के क्रम में पेंशन पुनरीक्षण संबंधी शासनादेशों के अनुसार पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण करते हुए भुगतान करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

नील रतन कुमार
विशेष सचिव, वित्त।

.....2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम/द्वितीय) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
4- समस्त मण्डलीय अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, उत्तर प्रदेश।
5- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

नील रतन कुमार
विशेष सचिव, वित्त।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।